



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश
कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, लखनऊ-226005
फोन : 0522-2975400, कम्प्यूटर कम 0522 : 2454939 ई मेल : igprisons-up@nic.in

दिनांक : 10, जुलाई, 2021

आदेश

कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-7/2021/1/3/96-क-4-2021, दिनांक 15.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-क-4-2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु दिए गए निर्देशानुपालन एवं शासनादेश संख्या-473/22-1-2018-57/2018, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 के अनुक्रम में कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनुशासन के दृष्टिगत उनके निजी अनुरोध पर निम्नलिखित उप कारापालों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-4 पर अंकित कारागार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती की कारागार	नवीन तैनाती की कारागार
1	2	3	4
1.	शियाजी यादव, उप कारापाल	आदर्श कारागार, लखनऊ	जिला कारागार, कानपुर देहात
2.	सुनील कुमार सिंह, उप कारापाल	जिला कारागार, बलरामपुर	जिला कारागार, खीरी
3.	आलोक त्रिवेदी, उप कारापाल	जिला कारागार, मुजफ्फर नगर	आदर्श कारागार, लखनऊ
4.	श्रीमती सायमा जलीस, उप कारापाल	जिला कारागार, इटावा	जिला कारागार, कानपुर नगर
5.	रविशंकर तिवारी, उप कारापाल	केंद्रीय कारागार, बरेली	जिला कारागार, फतेहपुर
6.	प्रभाकान्त पाण्डेय, उप कारापाल	जिला कारागार, बौदा	जिला कारागार, उन्नाव
7.	निर्भय कुमार सिंह, उप कारापाल	जिला कारागार, बागपत	जिला कारागार, बलरामपुर

उपरोक्त आदेश का अनुपालन तात्काल कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित उप कारापालों को स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य मुक्त करते हुए, कार्यमुक्ति की सूचना कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करावे। स्थानान्तरित उप कारापालों को निर्देशित किया जाता है कि तात्काल नवीन तैनाती की कारागार पर बोगदान सुनिश्चित करें। इस

[Handwritten Signature]
9/7/21

दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के कारण उपरोक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

Ar/7/21

(आनन्द कुमार)

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या- 16438 /अघ-1(1)/स्वा0/2021

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय उम महानिरीक्षक कारागार।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार।
- 3- पी0आर0 सेल, मुख्यालय।
- 4- अधिष्ठान अनुभाग-1 को सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रापत्ती में रखने हेतु।

(अम्बरीश शर्मा)

वरिष्ठ अधीक्षक (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य,
उत्तर प्रदेश।